रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 559] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 1996/आश्विन 11, 1918
No. 559] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 1996/ASVINA 11, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1996

का. आ. 680 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 466(अ), तारीख 28 जून, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "1 जुलाई, 1996 से शुरू होकर 30 सितम्बर, 1996 तक की तीन माह की और अवधि के लिए लागू रहेगा" अंकों और के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1 जुलाई, 1996 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाली नौ मास की और अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी" ।

[फा. सं. 9-5/96-डब्ल्यू पी. टी. ई. एस.]
एस. के. मल्होत्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1996

S.O. 680(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the

Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) No. S O. 466(E) dated the 28th June, 1996, namely :—

In the said notification for the figures and words "would remain in force for a further period of three months commencing from the 1st July, 1996 to 30th September, 1996" the following shall be substituted namely :—

"shall remain in force for a further period of nine months commencing from 1st July, 1996 to the 31st March, 1997."

[F. No. 9-5/96-WPT-ES]
S. K. MALHOTRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996